



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 03.06.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 359/2026 धारा 281/115(2)/351(2)/352/333/109(1) बी०एन०एस० व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 तलवार बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.06.26 को कोतवाली बागपत पर आवेदक श्री खालिक बैग पुत्र रफीक बैग निवासी मौहल्ला मलहान पुराना कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों द्वारा अपनी मो० सा० को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी के पुत्र व भतीजे को टक्कर मार दी विरोध करने पर वादी के घर में घुसकर गाली-गलौच करते हुए मारपीट करना व वादी के पुत्र नासिर पर जान से मारने की नियत से हाथ में ली तलवार से गर्दन पर वार करना जिससे वादी का पुत्र का बाल बाल बच जाना व जाते समय धमकी देना । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु०अ०सं० 359/2026 धारा 281/115(2)/351(2)/352/333/109(1) बी०एन०एस० व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा

थाने के मु0अ0सं0 359/2026 धारा 281/115(2)/351(2)/352/333/109(1) बी0एन0एस0 व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में वाँछित अभियुक्त मुस्तकीम पुत्र मोमीन उर्फ पोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक तलवार बरामद हुई है। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मुस्तकीम पुत्र मोमीन उर्फ पोपी निवासी मौहल्ला कैतीपुरा पुराना कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत उम्र 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 तलवार बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 2-है0का0 151 संदीप दहिया थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 3-है0का0 652 मोहित थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

